



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 21 सितम्बर, 2026

विषय:-केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक पुत्र श्री बाबूराम, निवासी जनपद-फर्रुखाबाद की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-4745/प्रो(6)/260/(गणतंत्र दिवस-26), दिनांक 10.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी अशोक पुत्र श्री बाबूराम (दिनांक 26.01.2026 तक बन्दी की आयु 56 वर्ष 06 माह 19 दिन) ग्राम-चौरन नगला, थाना-शमशाबाद, जनपद-फर्रुखाबाद का निवासी है। दिनांक 22.05.2006 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपने स्कूल को खाली कराने को लेकर हुये विवाद के कारण तमंचे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर दी एवं 01 व्यक्ति को घायल कर दिया। बन्दी को उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-296,299/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 25ए एक्ट व 27ए एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0-07, फर्रुखाबाद के आदेश दिनांक 30.05.2024 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2026 तक अपरिहार 03 वर्ष, 03 माह, 25 दिन एवं सपरिहार 03 वर्ष, 08 माह, 04 दिन की सजा मात्र भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बन्दी की समयपूर्व रिहाई के संबंध में गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28 जुलाई 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक-27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अशोक पुत्र श्री बाबूराम की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक (बन्दी संख्या-29280) पुत्र श्री बाबूराम, निवासी जनपद-फर्रुखाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1200/2026/168(1)/22-2-2026 तददिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद।
- 2- पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद।
- 3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
- 4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।